न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (37)
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 277–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–7–14 पारित द्वारा तहसीलदार, बैतूल प्रकरण कमांक 94/अ–12/2013–14.

संतोष पिता सम्पतराव
निवासी ग्राम बाजपुर
तहसील व जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

शिवदयाल पिता सुबाजी
निवासी ग्राम बाजपुर
तहसील व जिला बैतूल .....अनावेदक

श्री सैयद खालिद, अभिभाषक, आवेदक
श्री धीरेन्द्र मिश्रा अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 7/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम जटामपुर स्थित भूमि खसरा कमांक 24/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर का सीमांकन हेतु तहसीलदार, बैतूल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 94/अ–12/2013–14 दर्ज किया जाकर दिनांक 25–7–14 को आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा सीमांकन किये जाने से पूर्व आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को विधिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है, और न ही आवेदक एवं पड़ोसी कृषक

सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित थे । आवेदक को सूचना पत्र की तामीली के सम्बन्ध में कोई प्रमाण भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है ।

(2) पटवारी/राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमांकन किये जाने में विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है ।

(3) आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि, जिस पर आवेदक तथा उसके परिवार का कब्जा है, के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक द्वारा किसी प्रकार की कोई नपती नहीं की गई है ।

(4) पंचनामा, नक्शा एवं सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उस पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है, और न ही पंचनामा पर पड़ोसी कृषकों के हस्ताक्षर है ।

(5) राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा आवेदक की भूमि की नपती के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आवेदक की भूमि की नपती किये बिना अनावेदक की भूमि के सम्बन्ध में की गई सीमांकन कार्यवाही से बेजा कब्जा की पुष्टि नहीं होती है, इस कारण तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, कथनों का गम्भीरता से परिशीलन किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विपरीत है ।

(7) सीमांकन रिपोर्ट में चतुर्थ सीमायें नहीं दर्शायी गई है । इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी सूचना पत्र की तारीखों में काट–छांट की गई है, और पड़ोसी कास्तकारों की तामीली रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, न ही पंचनामें पर उभय पक्ष सहित अन्य पड़ोसी कास्तकारों के खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है, और न ही खसरों के आगे भू–स्वामियों के हस्ताक्षर हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को सीमांकन की सूचना दी जाकर खूटियां गाड़कर नक्शे के अनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से इ.टी.एस. मशीन से सीमांकन किया जाकर फील्ड बुक एवं पंचनामा तैयार किया गया है, और सीमांकन में अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन के समय आवेदक एवं अन्य पड़ोसी कृषक उपस्थित थे । उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही उचित होने से स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उसकी तारीखों में कांट–छांट की गई है । इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रकरण में फील्ड बुक भी संलग्न नहीं है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे संहिता की धारा 129 के अनुरूप उभय पक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही की जाकर, सीमांकन आदेश पारित किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर